tu tkx:drk gr

vulfpr tkfr vkj vulfpr tutkfr (vR;kpkj fuokj.k) l'kks/ku vf/kfu;e] 2015

rFkk

vulfpr tkfr vkj vulfpr tutkfr (vR;kpkj fuokj.k) fu;e] 1995

,o

vU; egRoi.k tkudkfj;k

fo'k"k tkp e[;ky;]

mÙkj in'k] y[kuÅA

uoe ry] tokgj Hkou] v'kkd ekx]

y[kuÅ&226001

njHkk"k % $ 91&522&2287658

QDl % 91&522&2286468

b&ey % splenq@up.nic.in

ocl kbV % http://uppolice.up.nic.in

विशेष जाँच प्रकोष्ठ की स्थापना एवं उद्देश्य

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति–उत्पीड़न की रोकथाम तथा इसके सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने वर्ष–1973 में पुलिस उपमहानिरीक्षक के अधीन विशेष जाँच प्रकोष्ठ की स्थापना की। शासन द्वारा वर्ष 1974 में इसके उत्तरदायित्व एवं कार्यक्षेत्र का निम्नानुसार निर्धारण किया गया है।

(1) साम्प्रदायिक या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित घटनाओं, दंगों तथा तनाव पैदा करने वाली परिस्थितियों के बारे में तुरन्त जानकारी प्राप्त करके अथवा जाँच करके पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश तथा शासन को अवगत कराना और उनके सम्बन्ध में प्रशासनिक दृष्टिकोण से आवश्यक कार्यवाही के विषय में सुझाव देना।

(2) प्रत्येक जिलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अपराध का विश्लेषण करना और यह पता लगाना कि घटनाओं के क्या–क्या कारण हैं और जिन वजहों से यह घटनायें होती हैं उनका निवारण किस प्रकार और किस हद तक किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह भी देखना होगा कि अस्पृश्यता–निवारण अधिनियम Untouchability offence Act, 1955 अब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (1955) के अन्तर्गत जो जुर्म हुए हैं उनसे कोई तनाव आदि तो नहीं उत्पन्न हुआ है।

(3) जिलों की सिक्योरिटी स्कीम में आवश्यक प्रावधान करवाना जिससे साम्प्रदायिक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अपराधों तथा घटनाओं की रोकथाम करने में सहायता मिले। ऐसे व्यक्तियों की सूची बनवाना तथा उन पर निगरानी रखवाना जिसके कारण यह घटनायें होती हैं। इन व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही या गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करवाना और सुझाव देना।

(4) जनता से प्राप्त होने वाली उपरोक्त मामलों पर शिकायतों के सम्बन्ध में शीघ्रता से कार्यवाही करना ताकि जनता को यह महसूस हो कि पुलिस तथा प्रशासन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की कठिनाइयों को दूर करने में जागरूक है।

(5) शासन को समय–समय पर सुझाव देना जिससे इन घटनाओं में कमी हो और प्रशासन सुदृढ़ बनाया जा सके।

(6) समाचार–पत्रों में छपने वाली खबरों के आधार पर वास्तविक स्थिति का शीघ्रता से पता लगाना तथा शासन को उससे अवगत कराना ताकि विधान सभा, विधान परिषद् तथा संसद के लिए आवश्यक सामग्री तुरन्त उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ वस्तु–स्थिति से समाचार–पत्रों में प्रेस नोट द्वारा जनता को अवगत कराना।

(7) विशेष तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का तुरन्त निरीक्षण करना और स्थानीय अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करके जो भी उचित कार्यवाही हो उसे करवाना। वर्ष 1983 में शासन द्वारा इस मुख्यालय को पुलिस महानिरीक्षक के नियंत्रणाधीन करते हुये

पुलिस महानिरीक्षक के पद के अतिरिक्त 01 पुलिस उपमहानिरीक्षक, 01 पुलिस अधीक्षक एवं 09 पुलिस उपाधीक्षक के पदों का नियतन निर्धारित किया गया है।

वर्ष 1986 में उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्याः 7657 (2)/आठ–1–150(13)–86 दिनांक 27 फरवरी 1986 द्वारा प्रदेश के 20 जनपदों में विशेष जाँच प्रकोष्ठ की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो कि कुशलता से कार्य कर रहे हैं। उक्त 20 जनपदों के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जनपदों में भी विशेष जांच प्रकोष्ठ गठित किये जाने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, जो शासन में विचाराधीन है। यद्यपि वर्तमान में सभी जनपदों में विशेष जांच प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं।

प्रारम्भ में प्रकोष्ठ को साम्प्रदायिक घटनाओं तथा जिला सिक्योरिटी स्कीम में आवश्यक प्रावधान करने से सम्बन्धित कार्य की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी थी परन्तु अभिसूचना विभाग में इस कार्य के लिए अलग से शाखा स्थापित हो जाने के कारण यह कार्य अब प्रकोष्ठ को नहीं करना पड़ता है। विवेचना, विवेचना का पर्यवेक्षण तथा अनुसंधान विषय में भी विशेष जाँच प्रकोष्ठ के कार्य–क्षेत्र के बाहर थे किन्तु उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्याः यू0ओ0 98/6–4–91–150 (6)–91(पु0–1) दिनांक 05 जून 1991 द्वारा इस मुख्यालय के अधिकार क्षेत्र में विवेचना, पर्यवेक्षण तथा अनुसंधान के कार्य भी सम्मिलित कर दिये गये।

वर्ष 1995 में उ0प्र0 शासन के अर्द्धशा0प0सं0–1849/छः–पु0से0–2–1995 दिनांक 21 अप्रैल 1995 द्वारा इस पद को उच्चीकृत करते हुये अपर पुलिस महानिदेशक के नियंत्रणाधीन करते हुए अपर पुलिस महानिदेशक के पद के अतिरिक्त 01 पुलिस महानिरीक्षक, 01 पुलिस उपमहानिरीक्षक, 01 पुलिस अधीक्षक, 01 अपर पुलिस अधीक्षक एवं 09 पुलिस उपाधीक्षक के पदों का नियतन निर्धारित किया गया है।

शासनादेश संख्याः 452/छः–पु0–15/2003 दिनांक 27–08–2003 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम–8 के अन्तर्गत इस मुख्यालय को '' अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ'' का अतिरिक्त कार्य प्रदान किया गया जो निम्नलिखित कार्य करने के लिए उत्तरदायी हैः–

(1) परिलक्षित क्षेत्र का सर्वेक्षण करना।

(2) परिलक्षित क्षेत्र में लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाये रखना।

(3) परिलक्षित क्षेत्र में विशेष पुलिस बल तैनात करने के लिये या विशेष पुलिस चौकी की स्थापना के लिये राज्य सरकार को सिफारिश करना।

(4) अधनियम के अधीन अपराध होने के सम्भावित कारणों के बारे में अन्वेषण करना।

(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में सुरक्षा की भावना लाना।

(6) परिलक्षित क्षेत्र में विधि व्यवस्था की स्थिति के बारे में नोडल अधिकारी और विशेष अधिकारी को सूचित करना।

(7) विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये अन्वेषण और स्थल पर किये गये निरीक्षणों के बारे में पूछ–ताछ करना।

(8) नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन उन मामलों में, जहां पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा उस थाने में रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्टि करने से इंकार किया है, पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में पूछ–ताछ करना।

(9) किसी लोक सेवक द्वारा जानबूझकर की गयी उपेक्षा के बारे में पूछ–ताछ करना।

(10) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों में स्थिति का पुनर्विलोकन करना।

(11) उपर्युक्त के सम्बन्ध में राज्य सरकार/नोडल अधिकारी की, की गयी/किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में एक मासिक रिपोर्ट प्रत्येक पश्चात्वर्ती मास की 20 तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत करना।

❑❑❑

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

क्रमांक 33 सन् 1989

(11 सितम्बर, 1989)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए 1 [विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों] का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ — (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू—काश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख 2 को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. परिभाषांए — इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अत्याचार'' से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है;

(ख) ''संहिता'' से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है;

[3][(खख) ''आश्रित'' से पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता—पिता, भाई और बहिन जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण—पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित है;

(खग) ''आर्थिक बहिष्कार'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) अन्य व्यक्ति से भाड़े पर कार्य से संबंधित संव्यवहार करने या कारबार करने से इंकार करना ; या

(ii) अवसरों का प्रत्याख्यान करना जिनमें सेवाओं तक पहुंच या प्रतिफल के लिए सेवा प्रदान करने हेतु संविदाजन्य अवसर सम्मिलित है या

(iii) ऐसे निबंधनों पर कोई बात करने से इंकार करना जिन पर कोई बात, कारबार के सामान्य अनुक्रम में सामान्यतया की जाएगी ; या

---

1. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 2 द्वारा ''विशेष न्यायालयों'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. अधिनियम दिनांक 30—1—90 से प्रवृत्ति हुआ। देखिये अधिसूचना क्र.का.आ. 106 (अ), दिनांक 29—1—90 भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग—2 खण्ड 3(ii), दिनांक 29—1—90 पृष्ठ 1 पर प्रकाशित।

3. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 3(i) द्वारा अंतःस्थापित।

(iv) ऐसे वृत्तिक या कारबार संबंधों से प्रतिविरत रहना, जो किसी अन्य व्यक्ति से रखे जाएं;

(खघ) ''अनन्य विशेष न्यायालय'' से इस अधिनियम के अधीन अपराधों का अनन्य रूप से विचारण करने के लिए धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय अभिप्रेत है;

(खड़) ''वन अधिकार'' का वह अर्थ होगा, जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की धारा 3 की उपधारा (1) में है;

(खच) ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी'' का वह अर्थ होगा, जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (छ) में उसका है;

(खछ) ''लोक सेवक'' से भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का45) की धारा 21 के अधीन यथापरिभाषित लोक सेवक और साथ ही तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लोक सेवक समझा गया कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है और जिनमें, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन उसकी पदीय हैसियत में कार्यरत कोई व्यक्ति सम्मिलित है;]

(ग) ''अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों'' के वही अर्थ हैं जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में हैं;

(घ) ''विशेष न्यायालय'' से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है;

(ड़) ''विशेष, लोक अभियोजक'' से विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट लोक अभियोजक या धारा 15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता अभिप्रेत है;

[1][(ड.क) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से उपबाद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ड.ख) ''सामाजिक बहिष्कार'' से कोई रूढिगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिये या उससे प्राप्त करने के लिए या ऐसे सामाजिक संबंधों से प्रतिविरत रहने के लिए, जो अन्य व्यक्ति से बनाए रखे जाएं या अन्य व्यक्तियों से उसको अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने के इंकार करना अभिप्रेत है;

(ड.ग) ''पीड़ित'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति' की परिभाषा के भीतर आता है तथा जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या धनीय हानि या उसकी संपत्ति को हानि वहन या अनुभव करता है और जिसके अंतर्गत उसके नातेदार विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी हैं;

(ड.घ) ''साक्षी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से अंतर्विलित किसी अपराध के अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है या कोई जानकारी रखता है या आवश्यक ज्ञान रखता है और जो ऐसे मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान जानकारी देने या कथन करने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है या अपेक्षित हो सकेगा और जिसमें ऐसे अपराध का पीड़ित सम्मिलित है;]

---

1. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 3(ii) द्वारा अंतःस्थापित।

[1][(च) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और, यथास्थिति, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होना समझा जाएगा जो उन अधिनियमितियों में है।

(2) इस अधिनियम में किसी अधिनियमित या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का अर्थ किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसमें ऐसी अधिनियमिति या ऐसा उपबंध प्रवृत्त नहीं हैं यह लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश है।

अध्याय 2
अत्याचार के अपराध

3. अत्याचार के अपराधों के लिए दंड– [2](1) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,–

---

1. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 3(iii) द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित से पूर्व खंड (च) निम्नवत था:–

   "(च) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और संहिता या भारतीय दंड संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं जो, यथास्थिति, संहिता में या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में हैं।"

2. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 4(i) द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व उपधारा (1) निम्नवत थी:–

   "(1) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,–

   (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा;

   (ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के परिसर या पड़ोस में मल–मूत्र, कूडा, पशु–शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करके उसे क्षति पहुंचाने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से कार्य करेगा;

   (iii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारेगा या उसे नंगा या उसके चेहरे या शरीर को पोतकर घुमाएगा या इसी प्रकार का कोई अन्य ऐसा कार्य करेगा जो मानव के सम्मान के विरुद्ध है;

   (iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसे आवंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आवंटित किये जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या उसे आवंटित भूमि को अंतरित करा लेगा;

   (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि, परिसर या जल पर उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा;

   (vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को 'बेगार' करने के लिये या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिये अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य समरूप प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी के लिये विवश करेगा या फुसलाएगा;

   (vii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिये या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिये मतदान करने के लिये या विधि द्वारा उपबन्धित से भिन्न रीति से मतदान करने के लिये मजबूर या अभित्रस्त करेगा;

   (viii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दाण्डिक या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित करेगा;

   (ix) किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ जानकारी देगा और उसके द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति पहुंचाने या क्षुब्ध करने के लिये ऐसे लोक सेवक से उसकी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कराएगा;

   (x) जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा;

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा;

(ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा दखलकृत परिसरों में या परिसरों के प्रवेश–द्वार पर मल–मूत्र, मल, पशु–शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा;

(ग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पड़ोस में मल–मूत्र, कूड़ा, पशु–शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा;

(घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्ध–नग्न घुमाएगा;

(ड.) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा जैसे व्यक्ति के कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुण्डन करना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना, जो मानव गरिमा के विरुद्ध है;

(च) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जे में या उसको आवंटित या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसको आवंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या ऐसी भूमि को अंतरित करा लेगा;

(छ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उसकी भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि या परसरों या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा या उसकी फसल को नष्ट करेगा या उसके उत्पाद को ले जाएगा;

स्पष्टीकरण.–खंड (च) और इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''सदोष'' पद में निम्नलिखित सम्मिलित है,–

(अ) व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध;

(xi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करेगा;

(xii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने पर उस स्थिति का प्रयोग उसका लैंगिक शोषण करने के लिये, जिसके लिये वह अन्यथा सहमत नहीं होती, करेगा;

(xiii) किसी श्रोत, जलाशय या किसी अन्य उद्गम के जल को जो आम तौर पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, दूषित या गंदा करेगा जिससे कि वह उस प्रयोजन के लिये कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिये उसका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है;

(xiv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक अभिगम के स्थान के मार्ग के किसी रुढ़िजन्य अधिकार से वंचित करेगा या ऐसे सदस्य को बाधा पहुंचाएगा जिससे कि वह ऐसे सार्वजनिक अभिगम के स्थान का उपयोग करने या वहां पहुंचने से निवारित हो जाए जहां जनता के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाग को उपयोग करने का या पहुंचने का अधिकार है;

(xv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपना मकान, गांव या अन्य निवास–स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या कराएगा,

वह, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय होगा।''।

(आ) व्यक्ति की सहमति के बिना;

(इ) व्यक्ति की सहमति से, जहां ऐसी सहमति, व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसके व्यक्ति हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति का भय दिखाकर, अभिप्राप्त की गई है; या

(ई) ऐसी भूमि के अभिलखों को बनाना;

(ज) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को 'बेगार' करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ श्रम करने के लिए तैयार करेगा;

(झ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मानव या पशु–शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करेगा;

(ञ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करने के लिए तैयार करेगा या ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्य का नियोजन करेगा या नियोजन को अनुज्ञात करेगा;

(ट) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को, किसी देवदासी के रूप में पूजा, मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान की देवी, मूर्ति या पात्र के समर्पण को या वैसी ही किसी अन्य प्रथा को निष्पादित या संवर्धन करेगा या पूर्वोक्त कार्यों को अनुज्ञात करेगा;

(ठ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को, निम्नलिखित के लिए मजबूर या अभित्रस्त या निवारित करेगा–

(अ) मतदान न करने या किसी विशिष्ट अभयर्थी के लिए मतदान करने या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने;

(आ) किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन फाइल न करने या ऐसे नामनिर्देशन को प्रत्याह्व करने; या

(इ) किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के नामनिर्देशन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करेंगे;

(ड) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य को, जो संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायत या संविधान के भाग 9क के अधीन नगरपालिका का सदस्य या अध्यक्ष या किसी अन्य पद का धारक है, उसके सामान्य कर्तव्यों या कृत्यों के पालन में मजबूर या अभित्रस्त या बाधित करेगा;

(ढ) मतदान के पश्चात्, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उपहति या घोर उपहति या हमला करेगा या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करेगा या अधिरोपित करने की धमकी देगा या किसी ऐसी लोक सेवा के उपलब्ध फायदों से, निवारित करेगा, जो उसको प्राप्य हैं;

(ण) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने या विधि द्वारा उपबंधित रीति से मतदान करने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करेगा;

(त) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दांडिक या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करेगा;

(थ) किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ सूचना देगा जिससे ऐसा लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने या क्षुब्ध करने के लिए करेगा;

(द) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करेगा;

(ध) लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली गलौज करेगा;

(न) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा सामान्यतया धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करेगा, हानि पहुंचाएगा या अपवित्र करेगा;

स्पष्टीकरण :— इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, '' वस्तु'' पद से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मूर्ति, फोटो और रंगचित्र है;

(प) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरूद्ध शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं की या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या चिह्नों द्वारा या दृष्य रूपण द्वारा या अन्यथा, अभिवृद्धि करेगा या अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करेगा।

(फ) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करेगाः

(ब) (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को किसी स्त्री को साशय, यह जानते हुए स्पर्श करेगा कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जबकि स्पर्श करने का ऐसा कार्य, लैंगिक प्रकृति का है और प्राप्तिकर्ता की सहमति के बिना हैः

(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री के बारे में, यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं, लैंगिक प्रकृति के शब्दों, कार्यो या अंगविक्षेपों का उपयोग करेगाः

स्पष्टीकरण : — उपखंड (1) के प्रयोजनों के लिए, ''सहमति'' पद से कोई सुस्पष्ट स्वैच्छिक करार अभिप्रेत हैं, जब कोई व्यक्ति शब्दों, अंगविक्षेपों या अमौखिक संसूचना के किसी रूप में विनिर्दिष्ट कार्य में भागीदारी की रजामंदी को संसूचित करता हैः परंतु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कोई स्त्री, जो लैंगिक प्रकृति के किसी कार्य में शारीरिक अवरोध नहीं करती है, केवल इस तथ्य के कारण लैंगिक क्रियाकलाप में सहमति के रूप में नही माना जाएगा :

परंतु यह और कि स्त्री का, अपराधी के साथ सहित, लैंगिक इतिहास, सहमति विवक्षित नही करता है या अपराध को कम नहीं करता है;

(भ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले किसी श्रोत, जलाशय या किसी अन्य श्रोत के जल को दूषित या गंदा करेगा जिससे वह ऐसे प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए वह साधारणता उपयोग किया जाता है;

(म) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से इंकार करेगा या ऐसे सदस्य को लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने से निवारित करने के लिए बाधा पहुंचाएगा जिसमें जनता या उसके किसी अन्य वर्ग के सदस्यों को उपयोग करने और पहुंच रखने का अधिकार है;

(य) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसका गृह, ग्राम या निवास का अन्य स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या मजबूर करवाएगा; परंतु इस खंड की कोई बात किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन में की गई किसी कार्यवाई को लागू नहीं होगी;

(यक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को निम्नलिखित के संबंध में किसी रीति से बाधित या निवारित करेगा,–

(अ) किसी क्षेत्र के सम्मिलित संपत्ति संसाधनों का या अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से कब्रिस्तान या शमशान–भूमि का उपयोग करना या किसी नदी, सरिता, झरना, कुंआ, तालाब, कुंड, नल या अन्य जलीय स्थान या कोई स्नान घाट, कोई सार्वजनिक परिवहन, कोई सड़क या मार्ग का उपयोग करना;

(आ) साइकिल या मोटर साइकिल आरोहण या सवारी करना या सार्वजनिक स्थानों में जूते या नए कपड़े पहनना या विवाह की शोभा यात्रा निकालना या विवाह की शोभा यात्रा के दौरान घोड़े या किसी अन्य यान पर आरोहण करना;

(इ) जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा स्थल में प्रविष्ट करना या जाटरस सहित किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेना या उसको निकालना;

(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या लोक मनोरंजन या किसी अन्य लोक स्थान में प्रविष्ट होने या जनता के लिए खुले किसी स्थान में सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेत कोई उपकरण या वस्तुएं; या

(उ) किसी वृत्तिक में व्यवसाय करना या किसी ऐसी उपजीविका, व्यापार, कारबार या किसी नौकरी में नियोजन करना, जिसमें जनता या उसके किसी वर्ग के अन्य लोगों को उपयोग करने या उस तक पहुंच का अधिकार है;

(यख) जादू–टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा; या

(यग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति या कुटुंब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा या उसकी धमकी देगा,

वह, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है–

(i) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा; और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है तो वह व्यक्ति, जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, मुत्यु दंड से दंडनीय होगा;

(ii) मिथ्या साक्ष्य देगा और गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है किन्तु सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा;

(iii) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय है;

(iv) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा।

(v) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोंई अपराध 1(किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरूद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है), वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

[2][(v क) अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरूद्ध, यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या वह संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(vi) यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किये जाने के किसी साक्ष्य को, अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई जानकारी देगा जो वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड से दंडनीय होगा; या

(vii) लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा।

---

1. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 4(ii) द्वारा "किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरूद्ध इस आधार पर करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है," शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 4(iii) द्वारा अंतःस्थापित।

[1][**4.कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड–** (1) कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लोक सेवक के कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,–

(क) पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को, सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाना और उसको लेखबद्ध करना;

(ख) इस अधिनियम और अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को रजिस्टर करना और अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अधीन उसको रजिस्टर करना;

(ग) इस प्रकार अभिलिखित की गई सूचना की एक प्रति सूचनाकर्ता को तुरंत प्रदान करना;

(घ) पीड़ितों या साक्षियों के कथन को अभिलिखित करना;

(ड़) अन्वेषण करना और विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में आठ दिन की अवधि के भीतर आरोपपत्र फाइल करना तथा विलंब, यदि कोई हो, लिखित में स्पष्ट करना;

(च) किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को सही रूप से तैयार, विरचित करना तथा उसका अनुवाद करना;

(छ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना;

परन्तु लोक सेवक के विरूद्ध इस संबंध में आरोप, प्रशासनिक जांच की सिफारिश पर अभिलिखित किए जाएंगे।

(3) लोक सेवक द्वारा उपधारा (2) में निर्विष्ट कर्तव्य की अवहेलना के संबंध में संज्ञान विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा लिया जाएगा और लोक सेवक के विरूद्ध दांडिक कार्रवाइयों के लिए निदेश दिया जाएगा।]

5. पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्धित दंड – कोई व्यक्ति, जो इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुका है, दूसरे अपराध या उसके पश्चात्वर्ती किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा।

6. भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना–इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 34, अध्याय 3, अधिनियम के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं।

---

1. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापन से पूर्व धारा 4 निम्नवत थीः–

"**4. कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड**– कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।"।

7. कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समपहरण—(1) जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है वहां विशेष न्यायालय, कोई दंड देने के अतिरिक्त, लिखित रूप में आदेश द्वारा, यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की कोई सम्पत्ति, स्थावर या जंगम, या दोनों जिनका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है, सरकार को समपहृत हो जाएगी।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, वहां उसका विचारण करने वाला विशेष न्यायालय ऐसा आदेश करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसकी सभी या कोई संपत्ति, स्थावर या जंगम या दोनों, ऐसे विचारण की अवधि के दौरान, कुर्क की जाएंगी और जहां ऐसे विचारण का परिणाम दोषसिद्धि है वहां इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति उस सीमा तक समपहरण के दायित्वाधीन होगी जहां तक वह इस अध्याय के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने की वसूली के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

8. अपराधों के बारे में उपधारणा— इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में, यदि यह साबित हो जाता है कि,—

(क) अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन अपराध करने के [1][अभियुक्त व्यक्ति द्वारा या युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में कोई वित्तीय सहायता की है, तो विशेष न्यायालय, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है;

(ख) व्यक्तियों के किसी समूह ने इस अध्याय के अधीन अपराध किया है, और यदि यह साबित हो जाता है कि किया गया अपराध भूमि या किसी अन्य विषय के बारे में किसी विद्यमान विवाद का फल है तो यह उपधारणा की जाएगी कि यह अपराध सामान्य आषय या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया था।

[2][(ग) अभियुक्त, पीड़ित या उसके कुटुंब का व्यक्तिगत ज्ञान रखता था, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि जब तक अन्यथा साबित न हो, अभियुक्त को पीड़ित की जाति या जनजातीय पहचान का ज्ञान था।],

9. शक्तियों का प्रदान किया जाना—(1) संहिता में या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो वह—

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के निवारण के लिए, उससे निपटने के लिए, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, किसी जिले या उसके किसी भाग में, राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे जिले या उसके भाग में संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां या, यथास्थिति, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग समूह के लिए, और विशिष्टतया किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण पर अभियोजन की शक्तियां प्रदान कर सकेगी।

(2) पुलिस के सभी अधिकारी और सरकार के अन्य सभी अधिकारी इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गए किसी नियम, स्कीम या आदेश के उपबंधों के निष्पादन में उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी की सहायता करेंगे।

---

1. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 6(i) द्वारा ''अभियुक्त व्यक्ति की या युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति की वित्तीय सहायता की है'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 6(ii) द्वारा अंतःस्थापित।

(3) संहिता के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन किसी अधिकारी द्वारा शक्तियों के प्रयोग के संबंध में लागू होंगे।

अभ्यास 3

निष्कासन

10. ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है—(1) जहां विशेष न्यायालय का, परिवाद की पुलिस रिपोर्ट पर, यह समाधान हो जाता है कि संभाव्यता है कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 244 [1][या धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (अपप) के उपबंधों के अधीन पहचान किए गए किसी क्षेत्र, में यथानिर्दिष्ट 'अनुसूचित क्षेत्रों' या 'जनजाति क्षेत्रों' में सम्मिलित किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन कोई अपराध करेगा वहां वह, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे क्षेत्र की सीमाओं से परे, ऐसे मार्ग से होकर और इतने समय के भीतर हट जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाएं, और 2[तीन वर्ष, से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उस क्षेत्र में जिससे हट जाने का उसे निदेश दिया गया था, वापस न लौटे।

(2) विशेष न्यायालय उपधारा (1) के अधीन आदेश के साथ उस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति को वे आधार संसूचित करेगा जिन पर वह आदेश किया गया है।

(3) विशेष न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरूद्ध ऐसा आदेश किया गया है, या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से तीन दिन के भीतर किये गये अभ्यावेदन पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएंगे उपधारा(1) के अधीन किये गये आदेश को प्रतिसंहृत या उपान्तरित कर सकेगा।

11. किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात् उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया —(1) यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 10 के अधीन किसी क्षेत्र से हट जाने के लिये कोई निदेश जारी किया गया है—

(क) निदेश किये गये रूप में हटने में असफल रहता है: या

(ख) इस प्रकार हटने के पश्चात् उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय की लिखित अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र में ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रवेश करता है,

तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान पर, जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा।

(2) विशेष न्यायालय, लिखित आदेश द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरूद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, अनुज्ञा दे सकेगा कि वह उस क्षेत्र में जहां से हट जाने का उसे निदेश दिया गया था ऐसी अस्थायी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, लौट सकता है और अधिरोपित शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिये उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रतिभू सहित या उसके बिना, बन्धपत्र निष्पादित करे।

(3) विशेष न्यायालय किसी भी समय ऐसी अनुज्ञा को प्रतिसंहृत कर सकेगा।

(4) ऐसा व्यक्ति, जो ऐसी अनुज्ञा से उस क्षेत्र में वापस आता है, जिससे उसे हटने के लिये निदेश दिया गया था, अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करेगा और जिस अस्थायी अवधि के लिये लौटने की उसे अनुज्ञा दी गई थी उसके अवसान पर या ऐसी अवधि के अवसान के पूर्व ऐसी अनुज्ञा के प्रतिसंहृत किए जाने पर ऐसे क्षेत्र के बाहर हट जाएगा और धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अनवंसित भाग के भीतर नई अनुज्ञा के बिना वहां नहीं लौटेगा।

---

1. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 7(क) द्वारा अंतःस्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 7(ख) द्वारा ''दो वर्ष'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(5) यदि कोई व्यक्ति अधिरोपित शर्तों में से किसी का पालन करने में या तदनुसार स्वयं को हटाने में असफल रहेगा या इस प्रकार हट जाने के पश्चात् ऐसे क्षेत्र में नई अनुज्ञा के बिना प्रवेश करेगा या लौटेगा तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान को, जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, पुलिस अभिरक्षा से हटवा सकेगा।

12. ऐसे व्यक्तियों के, जिसके विरूद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, माप और फोटो आदि लेना— (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसके विरूद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर , किसी पुलिस अधिकारी को अपने माप और फोटो लेने देगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने माप या फोटो लेने दे, इस प्रकार माप या फोटो लिए जाने का प्रतिरोध करता है या उससे इंकार करता है, तो यह विधिपूर्ण होगा कि माप या फोटो लिए जाने को सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक उपाय किए जाएं।

(3) उपधारा (2) के अधीन लिये जाने वाले माप या फोटो का प्रतिरोध या उससे इंकार करने को भारतीय दंण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 186 के अधीन अपराध समझा जाएगा।

(4) जहां धारा 10 के अधीन किया गया आदेश प्रतिसंहृत कर दिया जाता है वहां उपधारा (2)के अधीन लिये गये सभी माप और फोटो (जिसके अंतर्गत नेगेटिव भी हैं) नष्ट कर दिए जाएंगे या उस व्यक्ति को सौंप दिए जायेगे जिसके विरूद्ध आदेश किया गया था।

13. धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति — वह व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन किये गये विषेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

अभ्यास 4

विशेष न्यायालय

1[14. विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय — (1) शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए,राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधीसूचना द्वारा, एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगीः

परंतु ऐसे जिलों में जहां अधिनियम के अधीन कम मामले अभिलिखित किए गए हैं, वहां राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे जिलों के लिए सेशन न्यायालयों को, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय होना विनिर्दिष्ट करेगी :

परंतु यह और कि इस प्रकार स्थापित या विनिर्दिष्ट न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी।

(2) राज्य सरकार का, यह सुनिश्चित करने के लिए, पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करने का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम के अधीन मामले, यथासंभव, दो मास की अवधि के भीतर निपटाए गए हैं।

---

1. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापन से पूर्व धारा 14 निम्नवत थी :—

"14. विशेष न्यायालय.— राज्य सरकार, शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिये, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायपूर्ति की सहमति से, राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिये प्रत्येक जिले के लिये एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी।"।

(3) विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में प्रत्येक विचारण में कार्यवाहियां, दिन–प्रतिदिन के लिए जारी रहेंगी, जब तक कि उपस्थित सभी साक्षियों की अभिलिखित होने वाले कारणों से उसको आगामी दिन से परे स्थगन करना आवश्यक नहीं पाता हो:

परंतु जब विचारण, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब विचारण, यथासंभव, आरोप पत्र को फाइल करने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

[1][**14क. अपीलें**– (1) दंड प्रक्रिया संहिता,1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेष या आदेश, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, के विरूद्ध अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में, उच्च न्यायालय में होगी।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता,1973 (1974का 2) की धारा 378की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के जमानत मंजूर करने या नामंजूर करने के किसी आदेश के विरूद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसे निर्णय, दंडादेश या आदेश से, जिससे अपील की गई है, नब्बे दिन के भीतर की जाएगी:

परंतु उच्च न्यायालय, नब्बे दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास नब्बे दिन के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था:

परंतु यह और कि कोई अपील, एक सौ अस्सी दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण नहीं की जाएगी।

(4) उपधारा (1) में की गई प्रत्येक अपील का निपटारा, यथासंभव, अपील ग्रहण करने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर होगा।]

[2][**15. विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक**–(1) राज्य सरकार, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि–व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति करेगी।

(2) राज्य सरकार, प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालय के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनन्य विशेष लोक अभियोजक को विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता, के रूप में विधि–व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए अनन्य विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी।

---

1. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित।

2. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व धारा 15 निम्नवत थी :– ''15. विशेष लोक अभियोजक.– राज्य सरकार, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिये, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधितक्ता के रूप में विधि–व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिये विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी।''।

[1][अभ्यास 4क

पीड़ित और साक्षी के अधिकार

15क. पीड़ित और साक्षी के अधिकार—(1) राज्य का, किसी प्रकार के अभित्रास, प्रपीड़न या उत्प्रेरणा या हिंसा या हिंसा की धमकियों के विरूद्व पीड़ितों, उसके आश्रितों और साक्षियों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करना, कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा।

(2) पीड़ित से निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ तथा किसी ऐसी विशेष आवश्यकता के साथ, जो पीड़ित की आयु या लिंग या शैक्षणिक अलाभ या गरीबी के कारण उत्पन्न होती है, व्यवहार किया जाएगा।

(3) किसी पीड़ित या उसके आश्रित को, किसी न्यायालय की कार्यवाही की युक्तियुक्त, यथार्थ और समय से सूचना का अधिकार होगा, जिसमें जमानत प्रक्रिया सम्मिलित है और विशेष लोक अभियोजक या राज्य सरकार पीड़ित को इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के बारे में सूचित करेगी।

(4) किसी पीड़ित या उसके आश्रित को, यथास्थिति, विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को, किन्हीं दस्तावेजों या सारवान साक्षियों को प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों को समन करने या उपस्थित व्यक्तियों की परीक्षा करने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा।

(5) कोई पीड़ित या उसका आश्रित, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त की जमानत, उन्मोचन, निर्मुक्ति, परिवीक्षा, सिद्वदोष या दंडादिष्ट या सिद्वदोष, दोषमुक्त या दंडादिष्ट पर या किसी संबद्व कार्यवाहियों या बहसों और सिद्वदोष करने के संबंध में कोई संबद्ध कार्यवाहियां या बहसें और लिखित तर्क फाइल करने के संबंध में किन्हीं कार्यवाहियों में सुने जाने का हकदार होगा।

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी मामले का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय, पीड़ित, उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षियों को निम्नलिखित प्रदान करेगा,—

(क) न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संरक्षण;

(ख) अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान यात्रा तथा भरण—पोषण व्यय; और

(ग) अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान सामाजिक—आर्थिक पुनर्वास;

(घ) पुनः अवस्थान।

(7) राज्य, संबद्ध विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को किसी पीड़ित या उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षियों को प्रदान किए गए संरक्षण के बारे में सूचित करेगा और ऐसा न्यायालय प्रस्थापित किए गए संरक्षण का आवधिक रूप में पुनर्विलोकन करेगा तथा समुचित ओदश पारित करेगा।

(8) उपधारा (6) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबद्ध विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय उसके समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में किसी पीड़ित या उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षी द्वारा या ऐसे पीड़ित, सूचनाकर्ता या साक्षी के संबंध में विशेष लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वेच्छा से ऐसे उपाय, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, कर सकेगा,—

(क) जनता की पहुंच योग्य मामले के उसके आदेशों या निर्णयों में या किन्हीं अभिलेखों में साक्षियों के नाम और पतों को छुपाना;

(ख) साक्षियों की पहचान और पतों का अप्रकटन करने के लिए निदेश जारी करना;

---

1. अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2016 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित।

(ग) पीड़ित, सूचनाकर्ता या साक्षी के उत्पीड़न स संबंधित किसी शिकायत के संबंध में तुरंत कार्यवाही करना और उसी दिन, यदि आवश्यक हो, संरक्षण के लिए समुचित आदेश पारित करनाः

परन्तु खंड (ग) के अधीन प्राप्त शिकायत में जांच या अन्वेषण ऐसे न्यायालय द्वारा मुख्य मामले से पृथक रूप से विचारित किया जाएगा और शिकायत की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगाः

परन्तु यह और कि जहां खण्ड (ग) के अधीन कोई शिकायत लोक सेवक के विरूद्व है, वहां न्यायालय ऐसे लोक सेवक को, न्यायालय की अनुज्ञा के सिवाय, लंबित मामले से संबंधित या असंबंधित किसी विषय में, यथास्थिति, पीड़ित सूचनाकर्ता या साक्षी के साथ हस्तक्षेप से अवरूद्व करेगा।

(9) अन्वेषण अधिकारी और थाना अधिकारी का, पीड़ित, सूचनाकर्ता या साक्षियों के अभित्रास, प्रपीड़न या उत्प्रेरणा या हिंसा या हिंसा की धमकियों के विरूद्व शिकायत को अभिलिखित करने का कर्तव्य होगा, चाहे वह मौखिक रूप से या लिखित में दी गई हो, और प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक फोटो प्रति उनको तुरंत निःशुल्क दी जाएगी।

(10) इस अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित सभी कार्यवाहियां वीडियो अभिलिखित होंगी।

(11) संबद्व राज्य का, न्याय प्राप्त करने में पीड़ितों और साक्षियों के निम्नलिखित अधिकारों और हकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित स्कीम विनिर्दिष्ट करने का कर्तव्य होगा, जिससे,–

(क) अभिलिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट की निःशुल्क प्रति प्रदान की जा सकें;

(ख) अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों को नकद या वस्तु में तुरंत राहत प्रदान की जा सके;

(ग) अत्याचार से पीड़ितो या उनके आश्रितों और साक्षियों को आवष्यक संरक्षण प्रदान किया जा सके;

(घ) मृत्यु या उपहति या संपत्ति को नुकसान के संबंध में राहत प्रदान की जा सके;

(ड.) पीड़ितों को खाद्य या जल या कपड़े या आश्रय या चिकित्सीय सहायता या परिवहन सुविधा या प्रति दिन भत्तों की व्यवस्था की जा सकें;

(च) अत्याचार से पीड़ितों और उनके आश्रितों को भरण–पोषण व्यय प्रदान किया जा सके; और

(छ) शिकायत करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर करने के समय अत्याचार से पीड़ितों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सकें;

(ज) अभित्रास तथा उत्पीड़न के अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों और साक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके;

(झ) अन्वेषण और आरोप पत्र की प्राप्ति पर अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके तथा निःशुल्क आरोप पत्र की प्रति प्रदान की जा सके;

(ञ) चिकित्सीय परीक्षा के समय आवश्यक पूर्वावधानियां की जा सकें;

(ट) राहत रकम के संबंध में अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों का जानकारी प्रदान की जा सकें;

(ठ) अन्वेषण और विचारण की तारीख और स्थान के बारे में अग्रिम रूप से अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके;

(ड) अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों या व्यष्टिकों के मामले पर और विचारण की तैयारी के लिए पर्याप्त टिप्पणी दिया जा सके तथा उक्त प्रयोजन के लिए विधिक सहायता प्रदान की जा सके;

(ढ) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रत्येक क्रम पर अत्यचार पीड़ितों या उनके आश्रितों या सहयुक्त संगठनों या व्यष्टिको के अधिकारों का निष्पादन किया जा सके और अधिकारों के निष्पादन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।

(12) अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों का गैर–सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अधिवक्ताओं से सहायता लेने का अधिकार होगा।

अध्याय 5
प्रकीर्ण

16. राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति–सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) की धारा 10क के उपबंध, जहां तक हो सकें, इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और उसे वसूल करने के प्रयोजनों के लिए और उससे संबद्ध सभी अन्य विषयों के लिए लागू होंगे।

17. विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही – यदि जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस उपअधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात जो यह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के समूह द्वारा, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं और जो उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर निवास करते हैं या बार–बार आते–जाते हैं, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना है या उन्होंने अपराध करने की धमकी दी है और उसकी यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा तथा शांति और सदाचार बनाए रखने तथा लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा और निवारक कार्यवाही कर सकेगा।

(2) संहिता के अध्याय 8, अध्याय 10 और अध्याय 11 के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक स्कीमें वह रीति विनिर्दिष्ट करते हुए बना सकेगी जिसका उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी अत्याचारों के निवारण के लिए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में सुरक्षा की भावना पुनः लाने के लिए स्कीम या स्कीमों में विनिर्दिष्ट समुचित कार्यवाही करेंगे।

18. अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना–संहिता की धारा 438 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के किसी मामले के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

19. इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबन्ध का लागू न होना–संहिता की धारा 360 के उपबन्ध और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के उपबन्ध

अठारहा वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है।

20. अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना– इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

21. अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य– (1) राज्य सरकार, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे उपाय करेगी जो आवश्यक हों।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित हो सकेगा।

(i) ऐसे व्यक्तियों को, जिन पर अत्याचार हुआ है, न्याय प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की, जिनके अंतर्गत विधिक सहायता भी है, व्यवस्था;

(ii) इस अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण और विचारण के दौरान साक्षियों, जिनके अंतर्गत अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति भी है, यात्रा और भरणपोषण के व्यय की व्यवस्था;

(iii) अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक पुनरूद्धार की व्यवस्था;

(iv) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रारम्भ करने या उनका पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति;

(v) ऐसे समुचित स्तरों, पर, जो राज्य सरकार, ऐसे उपायों की रचना या उनके क्रियान्वयन में के लिए उस सरकार की सहायता करने के लिए ठीक समझे, समितियों की स्थापना करना;

(vi) इस अधिनियम के उपबन्धों के बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए उपायों को सुझाव देने की दृष्टि से इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यकरण का समय–समय पर सर्वेक्षण करने की व्यवस्था;

(vii) उन क्षेत्रों की पहचान जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार होने की संभावना हो और ऐसे उपाय करना जिससे ऐसे सदस्यों की सुरक्षा अभिनिश्चित की जा सके।

(3) केन्द्रीय सरकार, ऐसे उपाय करेगी जो उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकारों द्वारा किये गये उपायों में समन्वय करने के लिए आवश्यक हों।

(4) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक वर्ष, संसद् के प्रत्येक सदन के पटल पर इस धारा के उपबन्धों के अनुसरण में स्वयं उसके द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा किये गये उपायों के संबंध में एक रिपोर्ट रखेगी।

22. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण – इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी बाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंन्द्रीय सरकार के विरूद्व या राज्य सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्व नहीं होगी।

23. नियम बनाने की शक्ति– (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह तत्पश्चात् ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जायेगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची
[धारा 3(2) (वक)]

Hkkjrh; nM lfgrk d v/khu /kkjk	vijk/k dk fooj.k
120d	vkijkf/kd "kM;= dh ifjHkk"kkA
120[k	vkijkf/kd "kM;= dk nMA
141	fof/kfo:) tekoA
142	fof/kfo:) teko dk lnL; gkukA
143	fof/kfo:) teko d fy, nMA
144	?kkrd vk;/k l lfTtr gkdj fof/kfo:) teko e lfEefyr gkukA
145	fdlh fof/kfo:) teko e ;g tkur g, fd mld fc[kj tku dk lekn'k n fn;k x;k g] lfEefyr gkuk ;k mle cu jgukA
146	cYok djukA
147	cYok dju d fy, nMA
148	?kkrd vk;/k l lfTtr gkdj cYok djukA
217	ykd lok }kjk fdlh 0;fDr dk nM l ;k fdlh lifÙk d leigj.k l cpku d vk'k; l fof/k d fun'k dh voKkA
319	migfrA
320	?kkj migfrA
323	LoPN;k migfr dkfjr dju d fy, nMA
324	[krjukd vk;/kk ;k lk/kuk }kjk LoPN;k migfr dkfjr djukA
325	LoPN;k ?kkj migfr dkfjr dju d fy, nMA
326[k	LoPN;k vEy Qduk ;k Qdu dk i;Ru djukA
332	ykd lod dk viu dÙk0; l Hk;kijr dju d fy, LoPN;k migfr dkfjr djukA
341	lnk"k vojk/k d fy, nMA
354	L=h dh yTtk Hkx dju d vk'k; l ml ij geyk ;k vkijkf/kd cy dk i;kxA

1- vf/kfu;e Øekd 1 lu 2016 dh /kkjk 12 }kjk vrh LFkkfirA

Hkkjrh; nM lfgrk d v/khu /kkjk	vijk/k dk fooj.k
354d	yfxd mRihMu vkj yfxd mRihMu d fy, nMA
354[k	fooL= dju d vk'k; l L=h ij geyk ;k vkijkf/kd cy dk i;kxA
354x	n';jfrdrkA
354?k	ihNk djukA
359	0;igj.kA
363	0;igj.k d fy, nMA
365	fdlh 0;fDr dk xlr jhfr l vkj lnk"k ifjjk/k dju d vk'k; l 0;igj.k ;k vigj.kA
376[k	ifr }kjk viuh iRuh d lkFk iFkddj.k d nkjku eFkuA
376x	ikf/kdkj e fdlh 0;fDr }kjk eFkuA
447	vkijkf/kd vfrpkj d fy, nMA
506	vkijkf/kd vfHk=kl d fy, nMA
509	'kCn] vxfo{ki ;k dk; tk fdlh L=h dh yTtk dk vuknj dju d fy, vk'kf;r gA]

❑❑❑

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995

कल्याण मंत्रालय अधिसूचना क्र. सा. नि. 316 (अ) दिनाक 31 मार्च, 1995 :— केन्द्रीय सरकार, **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33)** की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995** है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

   (क)''अधिनियम'' से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989, का 33) अभिप्रेत है;

   (ख) ''आश्रित'' में, इसके व्याकरणिक रूपभेद और सजातीय पदों के साथ, पत्नी, बालक चाहे विवाहित हो या अविवाहित, आश्रित माता—पिता, विधवा बहन तथा अत्याचार के पीड़ित पूर्वमृत पुत्र की विधवा और बालक सम्मिलित है;

   (ग) ''परिलक्षित क्षेत्र'' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जहां राज्य सरकार के पास यह विश्वास का कारण है कि वहां अत्याचार हो सकता है या अधिनियम के अधीन किसी अपराध के पुनः होने की आशंका है अथवा ऐसा क्षेत्र अत्याचार उन्मुख है;

   (घ) ''गैर सरकारी संगठन'' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या दस्तावेजों या संगठनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कल्याण सम्बन्धी क्रियाकलापों में लगा हुआ कोई स्वैच्छिक संगठन अभिप्रेत है;

   (ड़) ''अनूसूची'' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

   (च) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

   (छ) ''राज्य सरकार'' से, किसी संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उप संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत हे :

   (ज) उन शब्दों और मदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में हैं।

भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 3 (i) दिनांक 31—3—1995 पृष्ठ 1—24 पर प्रकाशित।

3. **पूर्वविधानात्मक और निवारक उपाय**—राज्य सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के निवारण की दृष्टि से—

(i) ऐसे क्षेत्र को परिलक्षित करेगी, जहां इसके पास विश्वास का कारण है कि अधिनियम के अधीन अत्याचार हो सकता है या किसी अपराध के पुनः होने की आशंका है;

(ii) जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक या किसी अन्य अधिकारी को परिलक्षित क्षेत्र का दौरा करने और विधि व्यवस्था की स्थिति का पुनर्विलोकन करने के आदेश देगी;

(iii) यदि आवश्यक समझा जाय तो परिलक्षित क्षेत्र में व्यक्तियों के जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नहीं है, उनके निकट सम्बन्धियों/सेवकों या कर्मचारियों और कुटुम्बीय मित्रों के आयुधों के लाइसेंसों को रद्द करेंगी और ऐसे आयुधों को सरकारी शस्त्रागार में जमा करवाएगी;

(iv) सभी अवैध अग्न्यायुधों को अभिग्रहण करेगी तथा अग्न्यायुधों के किसी अवैध विनिर्माण को प्रतिसिद्ध करेगी;

(v) व्यक्ति और सम्पत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यदि आवश्यक समझा जाय तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आयुध प्रदान करेगी;

(vi) अधिनियमों के उपबन्धों के कार्यान्वयन में सरकार की सहायता करने के लिए यदि उचित और आवश्यक समझा जाए तो एक उच्च शक्ति प्राप्त राज्य स्तरीय समिति, जिला तथा प्रभाग स्तरीय समितियों का गठन करेगी;

(vii) अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी उपाय सुझाने के लिए एक सतर्कता और मानीटरी समिति की स्थापना करेगी;

(viii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को, विभिन्न केन्द्रीय और राज्य अधिनियमितियों या नियमों, विनियमों तथा तद्धीन बनाई गयी योजनाओं के उपबन्धों के अधीन उनकी उपलब्ध उनके अधिकारो और संरक्षण के बारे में शिक्षित करने के लिए परिलक्षित क्षेत्र में अथवा किसी अन्य स्थान पर जागरूकता केन्द्रों की स्थापना करेगी और कार्यशालाओं का आयोजन करेगीः

(ix) जागरूकता केन्द्रों की स्थापना और उनके रख—रखाव के लिए गैर—सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करेगी और उन्हें आवश्यक वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करेगी;

(x) परिलक्षित क्षेत्र में विशेष पुलिस बल तैनात करेगी;

(xi) प्रत्येक तिमाही के अंत में विधि व्यवस्था की स्थिति, विभिन्न समितियों के कार्यकरण, अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन और अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों के लिए उत्तरदायी विशेष लोक अभियोजकों, अन्वेषक अधिकारियों और अन्य अधिकरियों के कार्यपालन का पुनर्विलोकन करेगी;

4. **अभियोजन का पर्यवेक्षण और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना** :— (1) राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर विशेष न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ताओं की संख्या का एक पैनल तैयार करेगी जैसा वह उचित समझे, जो कम से कम सात वर्षों से विधि व्यवसाय में हों।

इसी प्रकार, अभियोजन निदेशक/अभियोजन के भारसाधक के परामर्श से विशेष न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए लोक अभियोजकों का ऐसी संख्या में एक पैनल भी तैयार किया जायेगा, जैसा वह उचित समझे। ये दोनों पैनल राज्य के राजपत्र में भी अधिसूचित किये जायेगें और तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेंगे।

(2) जिला मजिस्ट्रेट और अभियोजन निदेशक/अभियोजन का भारसाधक एक कलेंडर वर्ष में दो बार, जनवरी तथा जुलाई के मास में इस प्रकार विनिर्दिष्ट या नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों के कार्यपालन का पुनर्विलोकन करेंगे और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(3) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है या यह विश्वास करने का कारण है, इस प्रकार नियुक्त या विनिर्दिष्ट किसी विशेष लोक अभियोजक ने अपनी सर्वोत्तम योग्यता से तथा सम्यक सावधानी और सतर्कता से मामले का संचालन नहीं किया है तो उसका नाम, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से अधिसूचना से निकाल दिया जायेगा।

(4) जिला मजिस्ट्रेट और जिला स्तर पर अभियोजन का भारसाधक अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति का पुनर्विलोकन करेंगे तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती मास को 20वीं तारीख को या उससे पहले अभियोजन निदेशक और राज्य सरकार को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस रिपोर्ट में प्रत्येक मामले के अन्वेषण और अभियोजन के सम्बन्ध में की गयी प्रस्तावित कार्यवाइयां विनिर्दिष्ट होगी।

(5) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट यदि आवश्यक समझे, अथवा अत्याचार के पीड़ित व्यक्ति ऐसा चाहें तो विशेष न्यायालयों में मामले के संचालन के लिए ऐसी फीस के भुगतान पर जैसा वह उचित समझे, एक विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता को नियोजित कर सकेगा।

(6) विशेष लोक अभियोजक की फीस का भुगतान राज्य सरकार द्वारा राज्य में अन्य पैनल अधिवक्ताओं से उच्चतर मान पर नियत किया जाएगा।

5. पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को सूचना :– (1) अधिनियम के अधीन अपराध किये जाने से सम्बन्धित प्रत्येक सूचना यदि पुलिस थाने के भारसाधक किसी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है तो उसके द्वारा या उसके निर्देश से लेखबद्ध कर ली जायेगी और सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और ऐसी प्रत्येक सूचना, चाहे लिखित में दी जाती है या यथोपूर्वोक्त लेखबद्ध की जाती है, इसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और उसके सार को उस पुलिस थाने द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्ट किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार लेखबद्ध की गयी सूचना की एक प्रति सूचना देने वाले को तत्काल मुफ्त दी जायेगी।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना को लेखबद्ध करने से पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की ओर से इंकार होने से व्यथित कोई व्यक्ति इस प्रकार की सूचना का सार लिखित रूप में डाक द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो स्वयं अपने द्वारा या एक पुलिस अधिकारी द्वारा जो सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो स्वयं अपने द्वारा एक पुलिस अधिकारी द्वारा जो पुलिस उप अधीक्षक के रैंक से कम न हो, अन्वेषण के पश्चात् लिखित रूप में एक आदेश उस सूचना केक सार को उस पुलिस थाने के द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिक में प्रविष्टि किये जाने के लिए सम्बन्धित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को देगा।

6. अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण :– (1) जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, किसी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस उप अधीक्षक से कम की पंक्ति का न हो, किसी व्यक्ति से अथवा अपनी ही

जानकारी से सूचना प्राप्त करता है कि उसकी अधिकारिता के भीतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार किया गया है तो तुरन्त वह अत्याचार से हुए जीवन हानि, सम्पत्ति हानि और नुकसान की सीमा को निर्धारण करने के लिए स्वयं घटना स्थल पर जायेगा और राज्य सरकार को तत्काल एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक उस स्थान या क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद उस स्थल पर,—

(i) राहत के हकदार पीड़ितों, उनके कुटुम्ब के सदस्यों और आश्रितों की एक सूची बनाएगा;

(ii) अत्याचार, पीड़ितों की सम्पत्ति की हानि और नुकसान की सीमा की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा;

(iii) क्षेत्र में पुलिस की गहन गश्त के आदेश देगा;

(iv) साक्षियों और पीड़तों से सहानुभूति रखने वालों को सुरक्षा प्रदान करने के प्रभावी और आवश्यक उपाय करेगा;

(v) पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करेगा;

7. अन्वेषक अधिकारी :— (1) अधिनियम के अधीन किये गये किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो पुलिस उपाधीक्षक के रैंक से कम का न हो। अन्वेषक अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार/पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके पूर्व अनुभव, मामले की विविक्षाओं को समझने और मामलों का अन्वेषण सही दिशा में कम से कम समय के भीतर करने की योग्यता और न्याय की भावना को ध्यान में रखकर की जायेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त अन्वेषक अधिकारी अन्वेषण उच्च प्राथमिकता पर तीस दिन के भीतर पूरा करेगा और पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो उसके पश्चात् उसे राज्य सरकार के पुलिस महानिदेशक को तत्काल भेज देगा।

(3) राज्य सरकार के गृह सचिव और समाज कल्याण सचिव अभियोजन निदेशक/अभियोजन के भारसाधक अधिकारी तथा पुलिस महानिदेशक प्रत्येक तिमाही के अन्त में अन्वेषण अधिकारियों द्वारा किये गये सभी अन्वेषणों की स्थिति का पुनर्विलोकन करेंगे।

8. अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना :— (1) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक के भारसाधन में एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना करेगी। यह कक्ष निम्नलिखित कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगाः—

(i) परिलक्षित क्षेत्र का सर्वेक्षण करना;

(ii) परिलक्षित क्षेत्र में लोक व्यवस्था प्रशांति बनाये रखना;

(iii) परिलक्षित क्षेत्र में विशेष पुलिस बल तैनात करने के लिए या विशेष पुलिस चौकी की स्थापना के लिए राज्य सरकार की सिफारिश करना;

(iv) अधिनियम के अधीन अपराध होने के सम्भावित कारणों के बारे में अन्वेषण करना;

(v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में सुरक्षा की भावना को लाना;

(vi) परिलक्षित क्षेत्र में विधि व्यवस्था की स्थिति के बारे में नोडल अधिकारी और विशेष अधिकारी को सूचित करना;

(vii) विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये अन्वेषण और स्थल पर किये गये निरीक्षणों के बारे में पूंछताछ करना;

(viii) नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन उन मामलों में, जहां पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उस थाने में रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्टि करने से इंकार किया, पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में पूंछतांछ करना;

(ix) किसी लोक सेवक द्वारा जानबूझकर की गयी उपेक्षा के बारे में पूंछतांछ करना;

(x) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति का पुनर्विलोकन करना;

(xi) उपर्युक्त के सम्बन्ध में राज्य सरकार/नोडल अधिकारी को की गयी/की जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में एक मासिक रिपोर्ट प्रत्येक पश्चात्वर्ती मास की 20 तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत करना।

9. नोडल अधिकारी का नामनिर्देशन :–राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारियों के अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अन्वेषण अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए, राज्य सरकार के सचिव के स्तर के अधिकारी को, जो अधिमानतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हो, नोडल अधिकारी नाम–निर्देशित करेगा। प्रत्येक तिमाही के अन्त में नोडल अधिकारी निम्नलिखित का पुनर्विलोकन करेगा।

(1) नियम 4 के उपनियम (2) और उपनियम (4), नियम 6, नियम 8 के खण्ड (xi) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट;

(2) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति;

(3) परिलक्षित क्षेत्र में विधि व्यवस्था की स्थिति;

(4) अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों और उनके आश्रित को नकद या वस्तु रूप में अथवा दोनों में तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए अपनाए गये विभिन्न उपाय;

(5) अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों या उसके आश्रितों को राशन, वस्त्र, आश्रय, विधिक सहायता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा परिवहन सुविधाओं जैसी तत्काल दी जाने वाली सुविधाओं की पर्याप्तता;

(6) अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्यन के लिए जिम्मेदार गैर–सरकारी संगठनों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष, विभिन्न समितियों और लोक सेवकों का कार्यपालन;

10. विशेष अधिकारी की नियुक्ति :– परिलक्षित क्षेत्र में अपर जिला मजिस्ट्रेट के रैंक से अन्यून के एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अन्य अधिकारियों, विभिन्न समितियों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष के साथ समन्वय करने के लिए की जायेगी। विशेष अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगाः–

(1) अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत और अन्य सुविधाएं प्रदान करना और अत्याचार के पुनः होने को निवारित करने या उससे बचने के आवश्यक उपाय करना।

(2) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्तियों को उनके अधिकारों और विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकारों की अधिनियमितियों या नियमों और तद्धीन तैयार की गई योजनाओं के उपबंधों के अधीन उन्हें प्राप्त संरक्षण के बारे में शिक्षित करने के लिए परिलक्षित क्षेत्र में चेतना केन्द्र की स्थापना तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना;

(3) गैर–सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करना और केन्द्रों के रख–रखाव या कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों के आवश्यक सुविधाओं, वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना;

11. **अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति उसके आश्रित तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण पोषण व्यय और परिवहन सुविधाएं–** (1) अत्याचार से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति, उसके आश्रित और साक्षियों को उसके आवास अथवा ठहरने के स्थान से अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण या सुनवाई या विचारण के स्थान तक एक्सप्रेस/मेल/यात्री ट्रेन में द्वितीय श्रेणी का आने–जाने का रेल भाड़ा अथवा वास्तविक बस या टैक्सी भाड़े का संदाय किया जाएगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों को, अन्वेषण अधिकारी, पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए परिवहन सुविधायें देने अथवा उसके पूरे संदाय की प्रतिपूर्ति की आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

(3) प्रत्येक महिला साक्षी, अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति या उसकी आश्रित महिला या अव्यस्क व्यक्ति, साठ वर्ष की आयु से अधिक का व्यक्ति और 40 प्रतिशत या उसके अधिक का निःशक्त व्यक्ति अपनी पसंद का परिचर अपने साथ लाने का हकदार होगा। परिचर को भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की सुनवाई, अन्वेषण और विचारण के दौरान बुलाए जाने पर साक्षी अथवा अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को देय यात्रा और भरणपोषण व्यय का संदाय किया जाएगा।

(4) साक्षी, अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति या उसका/उसकी आश्रित तथा परिचर को अपराध के अन्वेषण, सुनवाई और विचारण के दौरान उसके आवास अथवा ठहरने के स्थान से दूर रहने के दिनों के लिए ऐसी दरों पर दैनक भरण पोषण व्यय का संदाय किया जाएगा जो उस न्यूनतम मजदूरी से जैसा कि राज्य सरकार ने कृषि श्रमिकों के लिए नियत की हो, कम नहीं होगा।

(5) साक्षी, अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति (अथवा उसका/उसकी आश्रित) और परिचर को दैनिक भरण–पोषण व्यय के अतिरिक्त आहार व्यय का भी ऐसी दरों पर संदाय किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार समय–समय पर नियत करें।

(6) पीड़ित व्यक्तियों, उनके आश्रितों/परिचर तथा साक्षियों को अन्वेषण अधिकारी या पुलिस थाना के भारसाधक अथवा अस्पताल प्राधिकरियों या पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक अथवा जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सम्बन्धित अधिकारी के पास अथवा विशेष न्यायालय जाने के दिनों के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरणपोषण व्यय तथा परिवहन सुविधाओं की प्रतिपूर्ति जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा तुरन्त अथवा अधिक से अधिक तीन दिनों में किया जाएगा।

(7) जब अधिनियम की धारा 3 के अधीन कोई अपराध किया गया है तो जिला

मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के लिए औषधियों, विशेष परामर्श रक्ताधान बदलने के लिए आवश्यक वस्त्र; भोजन और फलों के लिए संदाय की प्रतिपूर्ति करेंगे।

12. जिला प्रशासन द्वारा किए जाने वाले उपाय– (1) जीवन हानि और सम्पत्ति के हुए नुकसान का निर्धारण करने और राहत के लिए पात्र पीड़ित व्यक्तियों, उनके कुटुम्ब के सदस्यों और आश्रितों की एक सूची तैयार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक उस स्थान या क्षेत्र में जायेंगे जहां अत्याचार किया गया है।

(2) पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सम्बन्धित पुलिस थाने की बही में रजिस्ट्रीकृत की गई है और अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

(3) पुलिस अधीक्षक, मौके पर निरीक्षण के पश्चात् तत्काल एक अन्वेषण अधिकारी नियुक्त करेगा और उस क्षेत्र में ऐसा पुलिस बल तैनात करेगा और ऐसे अन्य निवाकर उपाय करेगा जिन्हें वह उचित और आवश्यक समझे।

(4) जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इन नियमों (उपाबंध 2 के साथ पठित उपाबंध 1) से उपाबद्ध अनुसूची में दिए गए मान के अनुसार अत्याचारों से पीड़ितों, व्यक्तियों उनके कुटुम्ब के सदस्यों और आश्रितों को नकद या वस्तु अथवा दोनों के रूप में तत्काल राहत देने की व्यवस्था करेगा। ऐसी राहत में भोजन, जल, कपड़े, आश्रय, चिकित्सा सुविधा, परिवहन सुविधा और अन्य आवश्यक मदें भी सम्मिलित होंगी जो मानव के लिए आवश्यक हैं।

(5) उप नियम (4) के अधीन अत्याचार पीड़ित व्यक्ति या उसके/उसकी आश्रित की मृत्यु, या क्षति अथवा सम्पत्ति को नुकसान के लिए राहत तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर का दाव करने के किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त होगा।

(6) उप नियम 4 में उल्लिखित राहत और पुनर्वास सुविधाएं जिला मजिस्ट्रेट अथवा किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा इन नियमों की उपाबद्ध अनुसूची में दिये गये मान के अनुसार प्रदान की जायेंगी।

(7) जिला मजिस्ट्रेट या उप खण्ड मजिस्ट्रेट अथवा अधीक्षक द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सुविधाओं की एक रिपोर्ट विशेष न्यायालय को अग्रेषित की जाएगी। यदि विशेष न्यायालय का समाधान हो जाता है कि राहत का संदाय पीड़ित व्यक्ति अथवा उसका/उसकी आश्रित को समय पर नहीं किया गया अथवा राहत या प्रतिकर पर्याप्त नहीं था अथवा राहत और प्रतिकर के केवल एक भाग का संदाय किया गया तो वह राहत अथवा कोई अन्य प्रकार की सहायता का पूर्ण अथवा आंशिक संदाय करने का आदेश दे सकेगा।

13. अत्याचार से सम्बन्धित कार्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का चयन –

(1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अत्याचार प्रवण क्षेत्र में नियुक्त किए जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के प्रंति सही प्रवृत्ति और समझ है।

(2) राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रशासन तथा पुलिस बल में सभी स्तरों पर विशेष रूप से पुलिस चौकियों और पुलिस थाने में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व हो।

14. राज्य सरकार का विनिर्दिष्ट दायित्व– राज्य सरकार अपने वार्षिक बजट में अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक उपबंध करेगी। यह एक कलेन्डर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में अधिनियम की धारा 15 के अधीन विनिर्दिष्ट अथवा नियुक्त विशेष लोक अभियोजक के कार्यपालन जिला मजिस्ट्रेट, उप खण्ड मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्ट किए गए अन्वेषण और निवारण के लिए उठाए गए कदमों, दी गई राहत और पुनर्वास सुविधाओं तथा सम्बन्धित अधिकारियों की ओर से की गई गलतियों के सम्बन्ध में रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करेगी।

15. राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता योजना– (1) राज्य सरकार, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए एक आदर्श आकस्मिकता योजना तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचित करेगी। इसे विभिन्न विभागों और विभिन्न स्तरों पर उनके अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी, ग्रामीण/शहरी स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और जिम्मेदारी को विनिर्दिष्ट करना चाहिए। इस योजना में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित को शामिल करके राहत कार्यों का एक पैकेज होगा:–

(क) नकद या वस्तु रूप में अथवा इन दोनों में तत्काल राहत प्रदान करने की योजना;

(ख) कृषि भूमि तथा गृह स्थलों का आवंटन;

(ग) पुनर्वास पैकेज;

(घ) सरकार और सरकारी उपक्रमों में पीड़ित व्यक्ति के आश्रित अथवा कुटुम्ब के सदस्यों में से एक को रोजगार के लिए स्कीम;

(ङ) विधवाओं, मृतक के आश्रित बालकों, विकलाँग व्यक्तियों या अत्याचार से पीड़ित वृद्धों के लिए पेंशन स्कीम;

(च) पीड़ितों के लिए आज्ञापरक प्रतिकर;

(छ) पीड़ित की सामाजिक और आर्थिक हालत को सुदृढ़ करने के लिए स्कीम;

(ज) पीड़ित व्यक्तियों को ईंट/पत्थर चिनाई गृहों के लिए उपबंध;

(झ) स्वास्थ की देखभाल, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, विद्युतीकरण, पर्याप्त पेयजल सुविधा, अन्त्येष्टि स्थल तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्राकृतिक वास तक सम्पर्क मार्ग जैसी सुविधाएं।

(2) राज्य सरकार, आकस्मिकता योजना की अथवा उसके सार की एक प्रति और इस स्कीम की एक प्रति यथाशीघ्र कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार तथा सभी जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेटों, पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को अग्रेषित करेगी।

16. राज्य स्तरीय सतर्कता और मानीटरी समिति का गठन– (1) राज्य सरकार अधिक से अधिक 25 सदस्यों की एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(i) मुख्यमंत्री प्रशासक–अध्यक्ष
(राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य की दशा में राज्यपाल अध्यक्ष होगा);

(ii) गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कल्याण मंत्री–सदस्य
(राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य की दशा में सलाहकार सदस्य होंगे);

(iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित संसद, राज्य विधान सभा और विधान परिषद के सभी चुने गए सदस्य–सदस्य;

(iv) मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक [1][राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिनिधि] [2][केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित तीन से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता]–सदस्य;

(v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के प्रभारी सचिव–संयोजक

(2) उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और मानीटरी समिति की बैठक, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत और पुनवार्स सविधा तथा उससे सम्बद्ध अन्य मामले, अधिनियम के अधीन मामलों का अभियोजन अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों और अभिकरणों की भूमिका और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों पर विचार करने के लिए एक कलेण्डर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में होगी।

17. जिला स्तरीय सतर्कता और मानीटरी समिति का गठन– (1) राज्य के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट, अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत और पुनर्वास सुविधाएं तथा उससे सम्बद्ध अन्य मामलों, अधिनियम के अधीन मामलों का अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों की भूमिका तथा जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों के पुनर्विलोकन के लिए अपने जिले में सतर्कता और मानीटरी समिति की स्थापना करेगा।

(2) जिला स्तरीय सतर्कता और मानिटरी समिति में संसद, राज्य विधान सभा तथा विधान परिषद के चुने गये सदस्य, पुलिस अधीक्षक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित राज्य सरकार के तीन समूह ''क'' अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अधिक से अधिक 5 गैर सरकारी सदस्य तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भिन्न प्रवर्ग के ऐसे अधिक से अधिक 3 सदस्य होंगे जो गैर सरकारी संगठनों से सहबद्ध हैं। जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे।

[2][(2क) [3][* * *] I]

(3) जिला स्तरीय समिति की, तीन मास में कम से कम एक बार बैठक होगी।

[2][17क. उपखण्ड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति का गठन–(1) राज्य के प्रत्येक उपखण्ड का उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अपने उपखण्ड में इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का, पीड़ितों को दिये गये अनुतोष और पुनर्वास सुविधाओं और उससे सम्बन्धित विषयों का, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन का अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए

1. अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 896(अ) दिनांक 23–12–2011 द्वारा दिनांक 23–12–2011 से ''निदेशक/उप निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 725(अ) दिनांक 8–11–2013 द्वारा दिनांक 8–11–2013 से अंतःस्थापित।
3. अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 774(अ) दिनांक 5–11–2014 द्वारा दिनांक 5–11–2014 से विलुप्त। पूर्व में उपधारा (2क) निम्नवत थी :–

''(2क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देषित तीन से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता–सदस्य''।

उत्तरदायी विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों की भूमिका का और उपखण्ड प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करने के लिए एक सतर्कता और मानीटरिंग समिति का गठन करेगा।]

[1] [(2) उप खण्डस्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति में उपखण्ड से राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य, पुलिस उप–अधीक्षक, तहसीलदार, ब्लॉक विकास अधिकारी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित दो से अनधिक अशासनिक सदस्य और गैर सरकारी संगठनों से सहयुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न प्रवर्गों से दो से अनधिक सदस्य होंगे।]

[2] [(3) उपखण्ड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति के अध्यक्ष और सदस्य सचिव क्रमशः उपखण्ड मजिस्ट्रेट और ब्लॉक विकास अधिकारी होंगे।]

[3] [(4) उपखण्ड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

18. वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री– राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों और इसके द्वारा पिछले कलेण्डर वर्ष के दौरान तैयार की गई विभिन्न स्कीमों/योजनाओं के बारे में रिपोर्ट अग्रेषित करेगी।

❑❑❑

---

1. अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 774(अ) दिनांक 5–11–2014 द्वारा दिनांक 5–11–2014 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित से पूर्व उपधारा (2) निम्नवत थी :–
   ''(2) उपखण्ड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, ब्लॉक विकास अधिकारी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित दो से अनधिक सदस्य और अधिकारी, अनुसूचित जातियों और गैरसरकारी संगठनों से सहयुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न वर्गों से दो से अनधिक सदस्य होंगे। क्रमशः उपखण्ड मजिस्ट्रेट अध्यक्ष होगा और ब्लॉक विकास अधिकारी सदस्य सचिव होगा।।।।
2. अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 774(अ) दिनांक 5–11–2014 द्वारा दिनांक 5–11–2014 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व उपधारा (3) निम्नवत थी :–
   ''(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित तीन से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता–सदस्य।''।
3. अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 774(अ) दिनांक 5–11–2014 द्वारा दिनांक 5–11–2014 अंत स्थापित।

[1][अनुसूची
अनुबंध–I
[नियम 12 (4) देखिए]

राहत रकम के लिए सन्नियम

क्रमांक	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	2	3
1	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीना या खाना {धारा 3(1)(i)}	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए नब्बे हजार रूपए या उससे अधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा : 1- 25 प्रतिशत जब न्यायालय को आरोप पत्र भेजा जाये। 2- 75 प्रतिशत जब निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया जाए।
2	क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना {धारा 3(1)(ii)}	
3	अनादर सूचक कार्य {धारा 3(1)(iii)}	
4	सदोष भूमि अभियोग में लेना या उस पर कृषि करना आदि {धारा 3(1)(iv)}	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए कम से कम नब्बे हजार रूपए या उससे अधिक भूमि या परिसर या जल की आपूर्ति जहां आवश्यक हो, सरकारी खर्च पर पुनः वापस की जायेगी। जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाये पूरा भुगतान किया जाये।
5	भूमि/परिसर या संबंधित {धारा 3(1)(v)}	
6	बेगार या बलातश्रम या बंधुआ मजदूरी {धारा 3(1)(vi)}	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को कम से कम नब्बे हजार रूपए। प्रथम सूचना रिपोर्ट होने की अवस्था में 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।
7	मतदान के अधिकार के संबंध में {धारा 3(1)(vii)}	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को पच्चहत्तर हजार रूपए तक जो अपराध के स्वरूप और गंभीरता पर निर्भर है।

1. अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 416 (अ) दिनांक 23–6–2014 द्वारा दिनांक 23–6–2014 से प्रतिस्थापित।

क्रमांक	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	2	3
8	मिथ्या दोषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही {धारा 3(1)(viii)}	नब्बे हजार रूपए या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के विचारण की समाप्ति के पश्चात जो भी कम हो।
9	मिथ्या या तुच्छ जानकारी {धारा 3(1)(ix)}	
10	अपमान, अभित्रास और अवमानना {धारा 3(1)(x)}	अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को नब्बे हजार रूपये तक। 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाये और शेष दोष सिद्ध होने पर।
11	किसी महिला की लज्जा भंग करना {धारा 3(1)(xi)}	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को एक लाख अस्सी हजार रूपए, चिकित्सा जांच के पश्चात् 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाये और शेष 50 प्रतिशत का विचारण की समाप्ति पर भुगतान किया जाये।
12	महिला का लैंगिक शोषण {धारा 3(1)(xii)}	
13	पानी गंदा करना {धारा 3(1)(xiii)}	तीन लाख पच्चहत्तर हजार रूपए तक जब पानी को गन्दा कर दिया जाये तो उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करने की पूरी लागत। उस स्तर पर जिस पर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जाये, भुगतान किया जाये।

क्रमांक	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	2	3
14	मार्ग के रूढ़िजन्य अधिकार से वंचित करना {धारा 3(1)(xiv)}	तीन लाख पच्चहत्तर हजार रूपए तक या मार्ग के अधिकार को पुनः बहाल करने की पूरी लागत और जो नुकसान हुआ है, यदि कोई हो, उसका पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाये और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।
15	किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना धारा 3(1)(xv)}	स्थल बहाल करना, ठहराने का अधिकार और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को नब्बे हजार रूपए का प्रतिकर तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुनर्निर्माण, यदि नष्ट कर दिया गया हो पूरी लागत का भुगतान जब निचले न्यायालय में आरोप पत्र भेजा जाये।
16	मिथ्या साक्ष्य देना {धारा 3(2)(i) और (ii)}	कम से कम तीन लाख पच्चहत्तर हजार रूपए या उठाये गये नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाये और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर।
17	भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास दण्डनीय अपराध करना। {धारा 3(2)(v)}	अपराध के स्वरूप व गम्भीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम एक लाख अस्सी हजार रूपए यदि अनुसूची में विशिष्ट। अन्यथा प्रावधान किया हुआ हो तो इस राशि में अन्तर होगा।

क्रमांक	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	2	3
18	किसी लोक सेवक के हाथों उत्पीड़ित {धारा 3(2)(vii)}	उसी प्रकार से प्रतिकर का भुगतान किया जाए, जिस प्रकार से यदि अभियुक्त लोक सेवक न हो।
19	निःशक्तता : निःशक्तता की परिभाषा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1955 की धारा में यथा प्रदत्त होगी और उसके निर्धारण के लिए दिशा निर्देश, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तारीख 01.06.2001 की भारत सरकार अधिसूचना सख्या-154, समय- समय पर यथा- संशोधित में अंतर्विष्ट होगी।	
	(क) 100 प्रतिशत असमर्थता	
	(i) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम तीन लाख पच्चहत्तर हजार रूपए 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत आरोप-पत्र पर और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर।
	(ii) परिवार का कमाने वाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम सात लाख पचास हजार रूपए 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट या चिकित्सा जांच पर भुगतान किया जाय और 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाय तथा 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।

क्रमांक	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	2	3
	(ख) जहां असमर्थता 100 प्रतिशत से कम है।	परन्तु यह कि अपराध के प्रत्येक पीड़ित परिवार के न कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से साठ हजार रूपए से अन्यून रकम और परिवार के कमाने वाले सदस्य को भुगतान की जाने वाली रकम में से एक लाख बीस हजार रूपये से अन्यून रकम की कमी की जाएगी।
20	हत्या या मृत्यु (क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक मामले में कम से कम तीन लाख पच्चहत्तर हजार रूपए। 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।
	(ख) परिवार का कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक मामले में कम से कम सात लाख पचास हजार रूपए। 75 प्रतिशत का भुगतान पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।

क्रमांक	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	2	3
21	हत्या/मृत्यु, नरसंहार, बलात्संग, सामूहिक बलातंग, गैंग द्वारा किया गया बलात्संग स्थायी असमर्थता और डकैती का पीड़ित।	उपर्युक्त मदों के अंतर्गत भुगतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नलिखित रूप से की जाए :- (i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को चार हजार पाँच सौ रूपए प्रतिमाह की दर से या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि, एक मकान आदि आवश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा। (ii) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण पोषण का पूरा खर्च। बच्चों को आश्रम के विद्यालयों या आवासीय विद्यालयों में दाखिल किया जाए। (iii) तीन मास की अवधि तक के लिए बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहनों आदि की व्यवस्था।
22	पूर्णतया नष्ट करना/ जला हुआ मकान	जहां मकान को जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया हो। वहां सरकार के खर्च पर ईंट पत्थर के मकान का निर्माण किया जाये या उसकी व्यवस्था की जाये।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाएंः–

(1) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को राज्य सेवाओं की परीक्षा में प्रशिक्षण योजना :–

ग्रामीण तथा मध्यम वर्गीय कम आय वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बच्चे प्रतिभावान, मेधावी, लगनशील तथा परिश्रमी होते हुए भी उचित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं पाठ्यक्रम से सम्बन्धित उचित पुस्तकों की जानकारी के अभाव में आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 परीक्षाओं की गुणवत्ता पूर्ण तैयारी नहीं कर पाते है। आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 से सम्बन्धित आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के अत्यन्त उच्च कोटि के स्तर तथा अद्यतन परिवर्तित/परिवर्धित होने वाले पाठ्यक्रमों के अनुरूप विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रतिस्पर्धात्मक तैयारी के निमित्त कोचिंग केन्द्र के माध्यम से उक्त वर्ग के अभ्यर्थियों को स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि इस वर्ग के अभ्यर्थी पूर्ण आत्मविश्वास एवं तैयारी के साथ इन परीक्षाओं में भाग ले सकें एवं इन सेवाओं में इस वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व समाहित हो सके।

समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में सात पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे है, चयनित संस्थानों का विवरण निम्नवत् है :–

(1) श्री छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन लखनऊ।

(2) आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (बालिका) अलीगंज लखनऊ।

(3) न्यायिक सेवा प्रशिक्षण केन्द्र इलाहाबाद।

(4) संत रविदास आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र वाराणसी।

(5) डा0 बी0आर0 अम्बेडकर आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र अलीगढ़।

(6) डा0 बी0आर0 अम्बेडकर आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र आगरा।

(7) आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 कोचिंग केन्द्र निजामपुर हापुड़ गाजियाबाद।

(2) प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा राजकीय औद्योगिक आस्थानों का संचालन :–

प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा 09 जनपदों रामपुर, गाजीपुर, फतेहपुर, हरदोई, रानोपाली (फैजाबाद), कालपी (जालौन), मुजफ्फरनगर, रामनगर (वाराणसी) एवं बदायूं में औद्योगिक आस्थान संचालित है।

(3) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का क्रियान्वयन :–

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 4,13,57,608 है। इन जातियों के प्रति सामान्य अस्पृश्यता/छुआछुत की भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न की घटनाओं में न्यूनतम रू0 90,000/– से अधिकतम रू0 7.50 लाख की आर्थिक सहायता विभिन्न चरणों में दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

(4) आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन :–

प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं विमुक्त जाति के बालक/बालिकाओं के शैक्षिक उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना की गयी है इन विद्यालयों में दलित वर्ग के ऐसे परिवार जो अपने बच्चों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते तथा अत्यन्त निर्धन है, के बच्चों को प्रवेश मिलता है। विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, वस्त्र, भोजन आदि सुविधायें राजकीय व्यय पर प्रदान की जाती है।

(5) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों का संचालन :–

अपने घर से दूर रहकर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के आवासीय समस्या के निदान हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावासों का निर्माण कराया जाता है। इन छात्रावासों में छात्रों को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था, फर्नीचर, विद्युत की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। भोजन बनाने के लिए रसोईया, कहार तथा सफाई के लिए स्वच्छकार की व्यवस्था शासकीय व्यय पर की जाती है परन्तु भोजन आदि पर आने वाला व्यय छात्रों को स्वंय वहन करना होता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा कुल 252 छात्रावास निर्मित कराये गये है।

(6) समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क बोरिंग योजना :–

निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लघु एंव सीमान्त कृषकों के खेतों में बोरिंग कराई जाती है।

❑❑❑

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं :–

(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की निम्नलिखित योजनाएं हैं:–

(1) प्रधानमंत्री आर्दश ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) केन्द्रीकृत रूप से प्रायोजित मार्गदर्शी योजना।

(2) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना।

(3) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।

(4) मैला एवं सफाई व्यवसायों में लगे बच्चों के लिए पूर्व–मैट्रिक छात्रवृत्ति।

(5) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्च कोटि शिक्षा के लिए केन्द्रीय सेक्टर छात्रवृत्ति योजना।

(6) हाथों से सफाई करने के कार्य में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्व–रोजगार योजना।

(7) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उप–योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता।

(8) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा जैसे एम0फिल और पीएचडी करने के लिए ''राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप'' केन्द्रीय सेक्टर योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करना।

(9) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अजा) आदि के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्तियां।

(10) निम्न साक्षरता स्तर से सम्बन्धित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की मेरिट का उन्नयन।

(11) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना।

(12) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए डा0 अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत योजना।

(13) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अत्याचार पीड़ितों के लिए डा0 अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत योजना।

(14) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम।

(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम निम्नवत् हैं :–

(1) व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति।

(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पोस्ट डॉक्टोरल छात्रवृत्ति।

(3) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में स्नातक/स्नाकोत्तर स्तर पर वैकल्पिक कोचिंग कक्षांए।

(4) राष्ट्रीय अर्हता परीक्षा (एनईटी) की तैयारी के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कोचिंग कक्षाएं।

(5) नौकरी में प्रवेश पाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कोचिंग कक्षाएं।

(3) इन्दिरा आवास योजना :–

इन्दिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों, मुक्त बन्धुआ मजदूरों और गरीबी रेखा से नीचे के गैर–अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवास इकाई के निर्माण में सहायता अनुदान प्रदान करना है।

(4) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना :–

यह एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन योजना है जिसके अन्तर्गत ऐसे ग्रामीण/अर्ध–शहरी क्षेत्रों में जहां ऐसे परिवारों को सहायता दी जाती है जिसमें 50 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए।

(5) प्रधानमंत्री रोजगार योजना :–

यह योजना उन शिक्षित बेरोजगार युवकों को उद्योगों में स्वरोजगार वेन्चर्स, सेवा बिजनेस सेक्टर स्थापित करने के लिए ऋण मुहैया करवाने के लिए तैयार की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 22.5 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है।

(6) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना :–

यह योजना शहरी क्षेत्रों के लिए मुख्य गरीबी उपशमन योजना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की स्थायी जनसंख्या के अनुपात में इसका विस्तार किया जाना चाहिए।

(7) स्वच्छकारों की मुक्ति तथा पुनर्वास योजना :–

स्वच्छकारों और उनके आश्रितों को विद्यमान पैतृक हाथ से मैला साफ करने के घृणाजनक व्यवसाय से मुक्त कर वैकल्पिक सम्मानित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छकारों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना है। यह योजना शुरूआत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित सभी स्वच्छकारों पर लागू होगी। अन्य समुदायों से सम्बन्धित स्वच्छकार भी इससे सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

❑❑❑

प्रमुख सम्पर्क दूरभाष

क्र. सं.	पदनाम	दूरभाष कार्यालय	फैक्स	ई-मेल	सी.यू.जी. नम्बर
1	प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन	2238291	2237410	pshomelko@gmail.com	9454405001
2	प्रमुख सचिव समाज कल्याण, लखनऊ	2238083	2238083	psecup.30cwel@nic.in	-
3	पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश	2206104	2260120	police@up.nic.in	9454400101
4	अपर पुलिस महानिदेशक विशेष जाँच, उत्तर प्रदेश	2287658 2288719	2286468	spleng@up.nic.in	9454400130
5	निदेशक, समाज कल्याण लखनऊ	2209259	2209275	director.sw@dirsamajkalyan.in	8004925280
6	सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनु0जाति आयोग 5वीं मंजिल, केन्द्रीय भवन सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ	4073902 2330288 2323860	2330288	-	9455004893
7	होम कन्ट्रोल रूम	2239295 2235283	2238409	home.mediacell@gmail.com	-
8	डीजी कन्ट्रोल रूम	2206901	2206120	dgpcontrol-up@up.nic.in	-
9	ए.डी.जी., विशेष जाँच कन्ट्रोल रूम	2287658	2286468	spleng@up.nic.in	9454402553
10	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली	011-24606802 24635721 24620435	011-24694743 24632298 24625378	chairperson@ncsc.nic.in	-
11	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली	011-24635721	011-2462462	chairperson@ncst.nic.in	-
12	उ0प्र0 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, 10वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ	2287231	2287217	-	-

vuqlwfpr tkfr vkSj vuqlwfpr tutkfr ¼vR;kpkj fuokj.k½ la'kks/ku vf/kfu;e] 2015 dh /kkjk&4¼2½ ds vUrxZr ykd lsod ds dŸkZO;

¼d½ iqfyl Fkkus ds iHkkjh vf/kdkjh }kjk lwpukdrkZ ds gLrk{kj ysus ls igys eksf[kd :i ls nh xbZ lwpuk dks] lwpukdrkZ dks i<+dj lqukuk vkSj mlds fy[kc) djukA

¼[k½ bl vf/kfu;e vkSj vU; lqlaxr mica/kksa ds v/khu f'kdk;r ;k iFke lwpuk fjiksVZ dks jftLVj djuk vkSj vf/kfu;e dh mi;qDr /kkjkvksa ds v/khu mldks jftLVj djukA

¼x½ bl izdkj vfHkfyf[kr dh xbZ lwpuk dh ,d izfr lwpukdrkZ dks rqjar iznku djukA

¼?k½ ihfM+rksa ;k lkf{k;ksa ds dFku dks vfHkfyf[kr djukA

¼M½ vUos"k.k djuk vkSj fo'ks"k U;k;ky; ;k vuU; fo'ks"k U;k;ky; esa lkB fnu dh vof/k ds Hkhrj vkjksi i= Qkby djuk rFkk foyac] ;fn dksbZ gks] fyf[kr esa Li"V djukA

¼p½ fdlh nLrkost ;k byDVªkfud vfHkys[k dks lgh :i ls rS;kj] fojfpr djuk rFkk mldk vuqokn djukA

¼N½ bl vf/kfu;e ;k mlds v/khu cuk, x, fu;eksa esa fofufn"V fdlh vU; dŸkZO; dk ikyu djukA